न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 241/2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025/365

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
भीखा पुत्र जगमाल जाति पुरोहित निवासी सूर का ढाणा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.उकसिंह पुत्र नारायणसिंह 2.बाबूसिंह पुत्र नारायणसिंह 3.लक्ष्मणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3

3.विप्रार्थी संख्या 4 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक– 11.02.2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी श्री भीखा पुत्र जगमाल जाति पुरोहित निवासी सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 880 मौजा सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 879 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री खुशहालराम पटेल द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर नजरी नक्शा परिशिष्ट ब अनुरूप रास्ता दिए जाने पर सहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 879 भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शा ब अनुसार मौके पर रास्ता विदयमान नही है। उक्त रास्ता दिए जाने पर विवाद ओर आगे बढेगा। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अ अनुरूप रास्ता दिए जाने की मांग अनुचित की गई है,क्योकि मौके पर रास्ता अवस्थित नही है। उक्त रास्ता दिए जाने पर विप्रार्थी के खेत के दो टुकड़े हो जाऐगे तथा रास्ता की दूरी भी लम्बी है। जबकि विप्रार्थी रास्ता हेतु नजरी नक्शा परिशिष्ट ब अनुरूप रास्ता दिए जाने हेतु सहमत है। अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थी को परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता दिया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

5. हमनें उभय–पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 879 में से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी नजरी नक्शा परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता दिए जाने हेतु सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

6. ग्राम सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 879 में आवागमन हेतु संलग्न नक्शा मार्क ए से बी में दर्शित भूमि निकटतम है,इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से राजकीय मार्ग तक पहुचने का निकटवर्ती विकल्प विधमान नहीं है,उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व प्रयुक्त होना बताया गया।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 880 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अनुरूप रास्ता चाह रहा है। जबकि विप्रार्थी परिशिष्ट ब अनुरूप रास्ता देने की सहमति दी गई है,लेकिन प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी दिए जाने पर असहमत है। लेकिन असहमति का कोई ठोस कारण नही बता पाए। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा दौराने बहस जाहिर किया कि परिशिष्ट ब में मार्क सी से डी के बीच में पक्का मकान बना रखा है,जो कि यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो भी उपयोग में नही आऐगा। इस संबध में विप्रार्थी पक्ष कोई संतोषप्रद कारण नही बता पाए। ऐसी सूरत में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि रास्ता दिए जाने के कारण पक्षकारान के बीच विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सके। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रासता मार्क ए से बी अनुरूप खसरा संख्या 879 मे से 12 फीट चौड़ाई की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर की प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर हेतु प्रार्थी देय रास्ता प्राप्ति करने का हकदार बनता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

:आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 880 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी खसरा संख्या 879 में से मौका फर्द में नजरी नक्शा मार्क ए से बी दर्शित प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 158 व चौडाई 12 फीट कुल 1896 वर्गफीट को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकार विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। मौका

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

फर्द दिनांक 11.10.2025 में नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार) 11/04/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11/04/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 11/04/2026
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (राज.)